(10)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा मु. भीनमाल
जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी– निसार खान आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण सख्या – 72/2014

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. वगतसिंह पुत्र धुकसिंह जाति राजपुत निवासी गजापुरा तहसील जसवंतपुरा		1 जब्बरसिंह पुत्र स्व. करणसिंह 2. शेरसिंह पुत्र स्व. करणसिंह 3. हिरसिंह पुत्र स्व. करणसिंह 4. मोहन कवंर बेवा स्व. करणसिंह 5. पसम कंवर पुत्री स्व. करणसिंह समस्त जातिगण राजपूत निवासीगण गजापुरा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर 4 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः– 3.2.16

प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी गांव गजापुरा का रहने वाला है एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थी के भतीजे है, अप्रार्थी संख्या 5 प्रार्थी की भतीजी है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 स्व. करणसिंह के पुत्र है अप्रार्थी संख्या 4 स्व. करणसिंह की बेवा है एवं अप्रार्थी संख्या 5 स्व. करणसिंह की पुत्री है एवं प्रार्थी स्व. करणसिंह का सगा भाई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पूर्वज स्व. करणसिंह के सामलाती आराजी गांव गजापुरा तहसील जसवंतपुरा में आई हुई है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 9,10,11,12,13, 14,15 एवं 282 है। जिनका रकबा क्रमशः 0.43, 0.44, 0.04, 5.11, 0.40, 0.01, 2.15, 1.01 हैक्टयर कुल 9.59 हैक्टयर है। जिसमें स्व. कर्णसिंह का हिस्सा 1/8 आता था, जो सपूंर्ण आराजी सामलाती थी। लेकिन पारिवारिक बंट में उसका निपटारा होने से इन खसरा नम्बर की आराजी में प्रार्थी का हक आने से अप्रार्थी के पूर्वज स्व. कर्णसिंह ने उक्त अपने नाम की आराजी जिस पर उसका रेकर्ड में हक था व हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में व हक में त्याग किया

सहायक कलेक्टर जसवन्तपुरा

Scanned by CamScanner

जाकर प्रार्थी को दिया उस हक तर्क को लिखित एवं रजिस्टर्ड हक तर्क नामे के जरिये प्रार्थी के हिस्से में दी गई। उक्त हक तर्कनामा दिनांक 11.04.2012 को लिखा जाकर दिनांक 23.04.2012 को उसकी रजिस्ट्री पंजियन विभाग भीनमाल के यहां करवायी गई। उपरोक्त तर्कनामा अप्रार्थीगणों की सहमति जानकारी के तहत हुआ, इस हक तर्कनामे के समय खसरा नम्बर 9,10,11,12,13, 14,15 एवं 282 का कब्जा भी स्व. कर्णसिंह ने प्रार्थी को दे दिया, तब से उपरोक्त खसरा नम्बरों पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। स्व. कणसिंह की मृत्यु के बाद पटवारी द्वारा उक्त आराजी को अप्रार्थी न. 1 से 5 के हक में म्यूटेशन भरकर उन्हें खातेदारी अधिकार दे दिया जबकि मृत्यु से पूर्व स्व. कर्णसिंह ने उक्त आराजी को हक तर्कनामे के जरिये प्रार्थी के पक्ष में तर्क कर दी थी। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री नंदकिशोर दवे द्वारा जवाब पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 18.11.2015 को अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने फैहरिश्त दस्तावेज के साथ नकल दावा तर्क नामा निरस्त करवाने का सिविल न्यायालय भीनमाल का पेश किया।

मामले में दिनांक 18.11.2015 को बहस सुनी गई बहस में प्रार्थी के अधिवक्ता श्री भगवानाराम विश्नोई ने कथन किया कि वगतसिंह व करणसिंह सगे भाई थे कर्णसिंह ने 1/8 हिस्सा दिनांक 23.04.2015 को हक तर्कनामा वगतसिंह के पक्ष में किया। जिससे उपरोक्त खसरा नम्बर की आराजी का कानूनी अधिकार प्रार्थी को उक्त रजिस्ट्रर्ड हक तर्कनामे के जरिये मिल गया लेकिन इसका म्यूटेशन नहीं भरा गया इस अवधि में कारणसिंह का स्वर्गवास हो गया हल्का पटवारी को जानकारी होते हुए भी करणसिंह के वारिशान के नाम म्यूटेशन भर दिया। हक तर्कनामा एक रजिस्ट्रर्ड डोक्यूमेंट है यह कोई गलत अवधारणा नहीं है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा भी है जो कि स्व. करणसिंह ने सौंपा था।

बहस में अप्राथीगण के अधिवक्ता श्री नंदकिशोर दवे ने कथन किया कि प्रार्थी रजिस्ट्री के आधार पर नहीं तर्कनामा के आधार पर कोर्ट में आये है। वादग्रस्त आराजीयान का तर्कनामा दिनांक 11.04.2012 को पंजिबद्ध होना एवं उसके पश्चात् आठ माह बाद दिनांक 12.12.2012 को करणसिंह का देहान्त होना एवं देहान्त के आठ माह बाद दिनांक 05.08.2013 को करणसिंह के वारिशान अप्रार्थीगण के नाम से नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत होना राजस्व रेकर्ड से साबित है, तर्कनामा दिनांक 23.04.2012 से करीब एक साल पश्चात् तक प्रार्थी ने छुपाकर रखा। एवं दस्तावेज के आधार पर करणसिंह के जीवनकाल में अथवा मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण भरवाने की कोई कार्यवाही करने से तथाकथित तर्कनामा संदेह की परिधि में आता है। करणसिंह की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का द्वारा जो म्यूटेशन भरा गया वह अप्रार्थीगण को उतराधिकार से प्राप्त हुआ। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का नहीं बल्कि अप्रार्थी का

सहायक कलेक्टर जसवन्तपु

Scanned by CamScanner

भी कब्जा है, वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है इस सबंध में प्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

मामले में दोनों पक्षों के विद्ववान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। चुकि पक्षकारान के बीच न्यायालय हाजा के समक्ष वाद ग्रस्त आराजी के संबध मे वाद विचाराधीन है जिसमे तनकीयात कायमी के पश्चात साक्ष्यो के पश्चात ही हक हकूक तय किये जा सकते है ऐसी स्थिति में ताफैसला वाद दोनो पक्षकारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः मामले मे अस्थायी निषेधाज्ञा ताफेसला वाद इस अमर की सादिर की जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा गजीपुरा तहसील जसवंतपुरा के खसरा नम्बर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 282 जुमले रकबा 9.59 हेक्टेयर की दोनो पक्षकारान राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखेगे एवं वाद के निस्तारण तक बैचान या अन्य किसी तरह से हस्तानान्तरण नही करेगे।

निर्णय आज दिनांक 3.2.16 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निसार खान)
सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा
मु. भीनमाल

सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा
मुख्यालय भीनमाल

Scanned by CamScanner